उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-**6**

संख्या-**20/2020/1392/77-6-2020-5**(एम)/**2017**

लखनऊ: दिनांक 12 जून, **2020**

<u>अधिसूचना</u>

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 (यथासंशोधित) के प्रस्तर- **3.2.3** को निम्नवत् संशोधित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
प्रस्तर-3.2.3-निजी क्षेत्र द्वारा विकसित बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में **100** एकड़ तथा मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में **150** एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित औद्योगिक पार्कों/एस्टेटों तथा बुंदेलखण्ड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल में **50** एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित एग्रो पार्को के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे।	प्रस्तर-**3.2.3**-निजी क्षेत्र द्वारा विकसित बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में **20** एकड़ उससे अधिक तथा मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में(गाजियाबाद एवं गौतमबुद्दनगर को सम्मिलित करते हुए) **30** एकड़ या उससे अधिक भूमि पर विकसित औद्योगिक पार्कों/एस्टेटों तथा **50** एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित एग्रो पार्को के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

2- अधिसूचना संख्या-**691/77-6-17-5**(एम)/**17** दिनांक 13.07.2020 तथा अधिसूचना संख्या-**629/77-6-18-5**(एम)/17टी.सी.2, दिनांक 27.02.2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 इस सीमा तक संशोधित समझी जाए। शेष शर्तें/प्राविधान यथावत् रहेंगे।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-**20/2020/1392(1)/77-6-2020-5**(एम)/**17**, तद्दिनांक-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।

(3) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।

(4) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।

(5) समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

(6) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(7) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, **12**-सी, मॉल एवेन्यू, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत संशोधन उद्योग बन्धु की वेब-साइट पर आज ही अपलोड कराते हुए 150 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(8) प्रबन्ध निदेशक, पिकप/उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।

(9) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।

(10) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0शासन।

(11) समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0शासन।

(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।